

**आदेश**

माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश दिनांकित **05-01-2022** के अनुपालन में न्याय अधिष्ठान बागपत के **जनपद न्यायालय बागपत के न्यायालय के कर्मचारीगण (चतुर्थ श्रेणी पुरुष एवं महिला कर्मियों एवं वाहन चालक कर्मियों के लिये) ग्रीष्म कालीन व शीतकालीन तैयार वर्दी क्रय के लिए क्रय समिति की पूर्व आख्या के आधार पर ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी क्रय करने पुनः कोटेशन दिनांक 15-01-2022 तक आमंत्रित कोटेशन आमंत्रित की जाती है।**

शासनादेश संख्या 1651/18-2-12-47(एस.पी.)/2012 लघु उद्योग-2 लखनऊ दिनांक 24.12.2012 के द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते का पुनरीक्षण के अनुसार जनपद न्यायालय बागपत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं वाहन चालकों को वर्दी दिये जाने हेतु निम्नप्रकार से तैयार वर्दी की आवश्यकता है:-

(5) चतुर्थ श्रेणी पुरुष कर्मियों के लिये--

|                    |  | पुरुष कर्मचारी की संख्या | वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित दर | कुल धनराशि |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|------------|
| ग्रीष्मकालीन वर्दी | 02 पैन्ट टेरीकाट (शूटिंग कपड़े में)                              | 07                       | 680                                  | 4760       |
|                    | 04 बूसर्ट पूरी बॉह-टेरीकाट (शूटिंग कपड़े में)                    |                          |                                      |            |
|                    | साफा 18 मीटर (सूती कपड़े में) जिन्हें पूर्व में साफा अनुमन्य था। | --                       | --                                   |            |
| शीतकालीन वर्दी     | 01 ऊनी कोट   | 38                       | 1310                                 | 49780      |
|                    | 01 ऊनी पैन्ट   |                          |                                      |            |
|                    | 01 ऊनी कम्बल   | 38                       | 200                                  | 7600       |


(ब) चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों के लिये

|                    |                   |    |      |      |
|--------------------|-------------------|----|------|------|
| ग्रीष्मकालीन वर्दी | 02 साड़ी टेरीकाट  | 03 | 680  | 2040 |
|                    | 02 ब्लाउज टेरीकाट |    |      |      |
|                    | 02 पेटिकोट सूती   |    |      |      |
| शीतकालीन वर्दी     | 01 ऊनी कोट        | 03 | 1310 | 3930 |
|                    | 01 ऊनी कम्बल      | 03 | 200  | 600  |

(स) वाहन चालकों के लिये

|                    |   |    |      |               |
|--------------------|---|----|------|---------------|
| ग्रीष्मकालीन वर्दी | 02 पैन्ट टेरीकाट (शूटिंग कपड़े में)           | -- | --   | --            |
|                    | 04 बूसर्ट पूरी बॉह-टेरीकाट (शूटिंग कपड़े में) |    |      |               |
| शीतकालीन वर्दी     | 01 ऊनी कोट                                    | 03 | 1310 | 3930          |
|                    | 01 ऊनी पैन्ट                                  |    |      |               |
|                    | 01 ऊनी कम्बल                                  | 03 | 200  | 600           |
|                    | 01 जोड़ी जूता/मोजा                            | 03 | 164  | 492           |
|                    | छाता  | -- | --   |               |
|                    | <b>सकल योग</b>                                |    |      | <b>73,732</b> |

सम्बन्धित फर्म उक्त के सम्बन्ध में केन्द्रीय नजारत अनुभाग में सम्पर्क कर सकते हैं।

  
 (शैलेन्द्र पाण्डेय)  
 अध्यक्ष

क्रय समिति/अपर जिला एवं सत्र  
 न्यायाधीश विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)  
 बागपत।